

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग रायपुर छ.ग.

दावा आपत्ति पत्रक
पद का नाम- नेत्र सहायक अधिकारी,
दावा आपत्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 20 अगस्त 2022. साय 05-30

क्र. सं.	पात्र/अपात्र सूची में स्थिति का प्रकार	आवेदक का नाम	आवेदक का पंजीयन क्र.	आपत्ति का विषय	दी गयी जानकारी	तथ्यात्मक विवरण	समिति का अभिमत / रिमार्क
1	08 (अपात्र)	श्री कांति-हरर कुमसेन	RE2022000008	5 पिता का नाम में त्रुटि सुधार करने हेतु।	6 12वीं की अकसूची।	7 ऑनलाईन आवेदन में पिता का सरलेम hemlal dadnscna से hemlal danscna किया जाना है अतः दावा आपत्ति मान्य योग्य है।	8 मान्य
2	08 (अपात्र)	श्री उषा साहू	RE2022000128	1. इस कार्यालय द्वारा जारी पात्र/अपात्र सूची में हस्ताक्षरित सम्पूर्ण दस्तावेज अपलोड नहीं होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। 2. आवेदक द्वारा आवेदन करते समय त्रुटिपत्रा वि.वि / बोर्ड नाम पैरामेडिकल कॉलेज, रायपुर अंकित हो गया है। जिससे सुधार कर प जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज रायपुर किया जावे।	हस्ताक्षरित ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन आवेदन की पावती, आधार कार्ड की छायाप्रति।	ऑनलाईन आवेदन परीक्षण के समय दस्तावेज अपलोड नहीं दिखाये जाने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया, जिसे अभ्यर्थी के द्वारा दावा आपत्ति के समय अपलोडेड ऑनलाईन आवेदन की पावती प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा आपत्ति मान्य योग्य है।	मान्य
3	05 (अपात्र)	श्री देवनाथ	RE2022000030	इस कार्यालय द्वारा जारी पात्र/अपात्र सूची में हस्ताक्षरित सम्पूर्ण दस्तावेज अपलोड नहीं होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है।	हस्ताक्षरित ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन आवेदन की पावती, आधार कार्ड की छायाप्रति।	ऑनलाईन आवेदन परीक्षण के समय दस्तावेज अपलोड नहीं दिखाये जाने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया, जिसे अभ्यर्थी के द्वारा दावा आपत्ति के समय अपलोडेड ऑनलाईन आवेदन की पावती प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा आपत्ति मान्य योग्य है।	मान्य
4	11 (अपात्र)	श्री टिकार कुमार महलवाई	RE2022000161	इस कार्यालय द्वारा जारी पात्र/अपात्र सूची में हस्ताक्षरित सम्पूर्ण दस्तावेज अपलोड नहीं होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है।	हस्ताक्षरित ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन आवेदन की पावती, नेत्र सहायक परीक्षण की अकसूची, राजगार पंजीयन, 12वीं अकसूची, पैरामेडिकल पंजीयन की छायाप्रति।	ऑनलाईन आवेदन परीक्षण के समय दस्तावेज अपलोड नहीं दिखाये जाने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया, जिसे अभ्यर्थी के द्वारा दावा आपत्ति के समय अपलोडेड ऑनलाईन आवेदन की पावती प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा आपत्ति मान्य योग्य है।	मान्य
5	01 (अपात्र)	श्री झूलमिह यादव	RE2022000085	पात्र सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदन के साथ जाति, आय, निवासी, अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	संबंधित अभ्यर्थी जन्मतिथि 03.12.1977 के अनुसार 44 वर्ष आयु सीमा होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। स्वधित द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कीमीलेयर नहीं होने के कारण आयु सीमा में मती नियम 06 जुलाई 2013 में दिये गये कडिका 8 के नियम 1(ख) में दिये गये निर्देश अनुसार यदि अभ्यर्थी अ जा. अ ज जा. ए व अपि व (नेत्र कीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छुट की जावेगी।	मान्य

क्र. सं.	पात्र/अपात्र सूची में क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदक का पंजीयन क्र.	आपत्ति का विषय	दी गयी जानकारी	तथ्यात्मक विवरण	समिति का अभिमत/ रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
6	98 (पात्र)	श्री महेंद्र कुमार पटेल	RE2022000069	ई मेल में ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति।	ई मेल में ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति।	अभ्याथी द्वारा ई मेल में अपने ऑनलाईन आवेदन को प्रस्तुत किया गया है किसी प्रकार का विषय उल्लेखित नहीं किया गया है अभ्याथी पात्र की श्रेणी में है।	मान्य
7	06 (अपात्र)	श्री नरेंद्र सिन्हा	RE2022000168	इस कार्यालय द्वारा जारी पात्र/अपात्र सूची में हस्ताक्षरित सम्पूर्ण दस्तावेज अपलोड नहीं होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है।	हस्ताक्षरित ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन आवेदन की पावती की छायाप्रति।	दिनांक 18.08.2022 समय 12:19 बजे को प्रथम बार दावा आपत्ति ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ऑनलाईन आवेदन में हस्ताक्षर नहीं किया गया है परन्तु दिनांक 18.08.2022 को द्वितीय बार समय 01:48 बजे ईमेल के माध्यम से पुनः हस्ताक्षरित ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा आपत्ति अमान्य योग्य है।	अमान्य
8	03 (अपात्र)	श्री संजय कुमार देवागन	RE2022000148	पात्र सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदन के साथ जाति, आय, निवासी, अनुभव प्रमाण पत्र एवं 10वीं की अंकसूची की छायाप्रति।	संबंधित अभ्याथी जन्मतिथि 01.07.1978 के अनुसार 43 वर्ष 06 माह की आयु सीमा होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। संबंधित द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कीमीलेयर नहीं होने के कारण आयु सीमा में मती नियम 06 जुलाई 2013 में दिये गये कडिका 8 के नियम 1(ख) में दिये गये निर्देश अनुसार यदि अभ्याथी अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. (गैर कीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छुट की जावेगी।	मान्य
9	10 (अपात्र)	श्री अनिल चन्दाकर	RE2022000008	इस कार्यालय द्वारा जारी पात्र/अपात्र सूची में हस्ताक्षरित सम्पूर्ण दस्तावेज अपलोड नहीं होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है।	हस्ताक्षरित ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन आवेदन की पावती की छायाप्रति।	ऑनलाईन आवेदन परीक्षण के समय दस्तावेज अपलोड नहीं दिखाये जाने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया, जिसे अभ्याथी के द्वारा दावा आपत्ति के समय अपलोडेड ऑनलाईन आवेदन की पावती प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा आपत्ति मान्य योग्य है।	मान्य
10	12 (अपात्र)	श्री यशवत कुमार साहू	RE2022000185	पात्र सूची में नाम शामिल करने बाबत।	ऑनलाईन आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र।	संबंधित अभ्याथी जन्मतिथि 20.09.1978 के अनुसार 43 वर्ष 03 माह की आयु सीमा होने के कारण अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। संबंधित द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कीमीलेयर नहीं होने के कारण आयु सीमा में मती नियम 06 जुलाई 2013 में दिये गये कडिका 8 के नियम 1(ख) में दिये गये निर्देश अनुसार यदि अभ्याथी अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. (गैर कीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छुट की जावेगी।	मान्य

टीप:- प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर दावा मान्य किये हुये अभ्याथियों को समस्त मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 05.09.2022 समय प्रातः 11 बजे से 05:30 बजे तक को भी दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

100/



